



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

राज्येन्द्रसिंह बनाम श्रीमती गवरे कवच (वैरा)

म मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं० 227 सन 2022

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 29.11.22 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>29/11/22 कार्य से वादा प्रार्थनापत्र पर है / पररिक्त है। असः पत्रावली दिनांक 27.11.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>27/12/22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी से 3 व 12 के विकट कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। विपक्षीगण के सम्मन वाद तामिल लेकर प्राप्त हुए जिले शामिल पत्रावली दिखे गये। विपक्षीगण को कितनी मतेवाकड कर कर आवाचे दिवाणी जाके के बाद की उपस्थित नहीं इनके विकट एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिखे जाते हैं। वकील प्रार्थी का पत्र पत्रा स्वीकार किया जाकर निर्दिष्ट धूपक से लिखना जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के लाल शुमार लेकर नम्बर से कर दो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला मीलवाड़ा</p> 	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख

जो इस अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

तामीर

डिए नम्बर- 227/22 प्रा.पत्र

अन्वयेन्द्र सिंह 510 मोड सिट्टराजपुर निवासी-मेविफाल तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

वरकंवर 10/03 श्री हरिसिंह शजपुर निवासी-गीगडिफाल तहसील माण्डल (राज0)  
(संबंधित 510 पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 27.12.22

::आदेश::

भोर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन  
5 ग्राम गीगडिफाल.....पटवार हल्का गीगडिफाल.....तहसील माण्डल में उसके  
वत् खाते की आराजी नं. 368-369..... कुल किता 0.2.....रकबा 0-4174  
प्रत हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आर्ये  
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की  
के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.10.22.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
र्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का  
है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते  
क की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गीगडिफाल पटवार  
गीगडिफाल.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 368-369.....  
ता 0.2.....रकबा 0-4174.....हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी  
ने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख  
राजधानपुरा को 500/- रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने  
रान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार  
पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

पि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार  
ही की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा